

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

130 DEC 2020

क्रमांक: प.17(20)नविवि/नियम/2019

जयपुर, दिनांक

30 DEC 2020

अधिसूचना

राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट, 2015 की धारा 24 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी तथा धारा 26 के अनुसरण में अपील प्राधिकारी एतद्वारा निम्नानुसार नियुक्त किए जाते हैं :-

क्र.सं.	स्थानीय निकाय	सक्षम प्राधिकारी	अपील अधिकारी
1	विकास प्राधिकरण	उपायुक्त	आयुक्त
2	राजस्थान आवासन मण्डल	उपायुक्त	अध्यक्ष, आवासन मण्डल
3	नगर निगम	अतिरिक्त आयुक्त	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
4	नगर विकास न्यास	उप सचिव	सचिव
5	नगर पालिका/नगर परिषद	कार्यकारी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(मंत्री राज्यपाल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन संबंधी कार्यवाही एवं वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम